न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 66/2022

शेरसिंह पुत्र श्री रामेश्वर, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

1. तहसीलदार उदयपुरवाटी, तहसील उदयपरवाटी, जिला झुंझुनू ।
2. करण सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी पापड़ा कलां, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंटस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम शेरसिंह, अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 53/2022 निर्णय दिनांक 18.07.2022

उपस्थितिः—

1. श्री मदन सिंह गिल, एडवोकेट —————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ————रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री राहुल स्वामी, एडवोकेट ————————रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम शेरसिंह, मु0 नं0 53/2022 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – ग्राम पापड़ा खुर्द से पंचलगी सराय के तिराहा तक पहले कच्चा रास्ता था उसके बाद 10–12 वर्ष पूर्व कच्चा रास्ता की जगह सरकार ने सीमेन्टेड सड़क का निर्माण करवाया। रास्ता एकदम सीधाई में नहीं था, काश्तकारों की सहमति से सीमेन्टेड सड़का निर्माण करवाया गया था, जिसमें कई काश्तकारों की खातेदारी की जमीन भी आ गई लेकिन काश्तकारों ने बाधा उत्पन्न नहीं की। आपसी पार्टीबाजी की वजह से [illegible] शिकायत पर पटवारी हल्का ने खसरा नंबर 218 पर रामसिंह, कजोड़मल, राजेश कुमार, [illegible], जागीराम, रणजीत, छोटेलाल, राजकुमार व प्रार्थी शेरसिंह के विरूद्ध [illegible] 0.01, 0.03, [illegible] कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

0.384 हैक्टर पर अतिक्रमण की रिपोर्ट की है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट के साथ नक्शा प्रस्तुत किया है, जो सड़क के साथ एक स्ट्रीक की तरह है जिसमें सड़क का नक्शा दिखलाया गया है। खसरा नंबर 218 कुल रकबा 0.740 हैक्टर में से 0.384 निकालने के बाद सड़क एवं सड़क के दूसरी दिशा में जो रकबा बनता है उसको देखने पर भी एक स्ट्रीक लाईन ही शेष रहती है, जबकि मौके पर सड़क के दोनों तरफ खली जगह है। अपीलांट ने पटवारी की रिपोर्ट पर जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया था। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की साक्ष्य पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट ने अपनी जवाबदेही प्रस्तुत की थी उसके खण्डन में पटवारी हल्का ने यह साबित नहीं किया कि मौका पर सड़क व सड़क के दोनों तरफ खाली जगह न हो। अदालत मातहत का आदेश बिना आधार के मनमाना आदेश है जो कायम रहने लायक नहीं है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– ग्राम पापड़ा खुर्द से पंचलगी सराय के तराहा तक पहले कच्चा रास्ता था उसके बाद 10–12 वर्ष पूर्व कच्चा रास्ता की जगह सरकार ने सीमेन्टेड सड़क का निर्माण करवाया। रास्ता एकदम सीधाई में नहीं था, काश्तकारों की सहमति से सीमेन्टेड सड़का निर्माण करवाया गया था, जिसमें कई काश्तकारों की खातेदारीकी जमीन भी आ गई, लेकिन काश्तकारों ने बाधा उत्पन्न नहीं की। आपसी पार्टीबाजी की वजह से लोगों की शिकायत पर पटवारी हल्का ने खसरा नंबर 218 पर रामसिंह,कजोड़मल, राजेश कुमार, रिछपाल, जागीराम, रणजीत,छोटेलाल, राजकुमार व प्रार्थी शेरसिंह के विरूद्ध क्रमशः 0.70, 0.02, 0.01, 0.15, 0.01, 0.03, 0.03, कुल 0.384 हैक्टर पर अतिक्रमण की रिपोर्ट की है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट के साथ नक्शा प्रस्तुत किया है, जो सड़क के साथ एक स्ट्रीक की तरह है जिसमें सड़क का नक्शा दिखलाया गया है। खसरा नंबर 218 कुल रकबा 0.740 हैक्टर में से0.384 निकालने के बाद सड़क एवं सड़क के दूसरी दिशा में जो रकबा बनता है उसको देखने पर भी एक स्ट्रीक लाईन ही शेष रहती है, जबकि मौके पर सड़क के दोनों तरफ खली जगह है। अपीलांट ने पटवारी की रिपोर्ट पर जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया था। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की साक्ष्य पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट ने अपनी जवाबदेही प्रस्तुत की थी उसके खण्डन में पटवारी हल्का ने यह साबित नहीं किया कि मौका पर सड़क व सड़क के दोनों तरफ खाली जगह न हो। अदालत मातहत का आदेश बिना आधार के मनमाना आदेश है जो कायम रहने लायक नहीं है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बताया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी पापड़ा कलां की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 218 कुल रकबा 0.74 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ते में से 0.03 हैक्टर गै0मु0 रास्ते पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण व टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया जाना बतया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांट को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर उनके द्वारा कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि रास्ते की भूमि है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी सरकार बनाम शेरसिंह मु0नं0 53/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:43 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू